न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

प्रकरण संख्या :- 51/2020

1. रामस्वरूप
2. मुकेश
3. हंसराज
4. राजेश पुत्रान हरिराम
5. प्रभाती देवी पत्नी हरिराम

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम अमाई, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 38 दिनांक 07.08.1988 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर(राज0)

निर्णय

दिनांक 15.10.20

अपीलान्ट नामान्तरण संख्या 38 दिनांक 07.08.1988 वाकेग्राम अमाई तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर से व्यथित होकर इसके विरूद्ध अपील पेश की है। जिसमें वर्णित तथ्य अपीलान्ट के वकील ने निम्मन भांति पेश किये हैं।

1. यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 784, 785, 790, 844, 845, 846, 851, 852, 853, 854 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान जो साबिक खसरा नम्बरान 362 मिन, 366, 463 मिन वाके मौजा अमाई से बने है।
2. यह है कि उक्त आराजी को अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता व अपीलान्ट संख्या 5 के पति हरिराम ने तत्कालीन खातेदार श्रीराम रिछपाल व बहादुर पुत्रान हरलाल, गंगासहाय, भौरा पुत्रान हरदेव से जरिये विकयपत्र दिनांक 04.07.1983 व 13.07.1983 को खरीद किया था।
3. यह कि खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण संख्या 38 आराजी खसरा नम्बरान 784, 785, 790, 844, 845, 846, 851, 852, 853, 854 वाके मौजा अमाई का भरा गया था वह विकय पत्र अनुसार सही दर्ज किया गया था लेकिन उक्त नामान्तरण स्वीकार करते समय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा सहवन से साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से बने खसरा नम्बर 784, 785, 790 के स्थान पर खसरा नम्बर 784, 785 तो सही लिखा गया लेकिन खसरा नम्बर 790 की जगह सहवन से खसरा नम्बर 786 दर्ज कर दिया गया जबकि साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से 786 खसरा नम्बर नही बना है। खसरा नम्बर 786 साबिक खसरा नम्बर 363 मिन से बना है। जो अपीलान्ट द्वारा कय नही किया है।
4. यह है कि राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट के नाम मुताबिक नामान्तरण के आराजी खसरा नम्बरान 784, 785, 844, 845, 846, 851, 852, 853, 854 दर्ज होकर बदस्तूर चले आ रहे हैं लेकिन नामान्तरण मे दर्ज खसरा नम्बर 790 एवं तहसीलदार द्वारा स्वीकृत

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

खसरा नम्बर 786 उक्त दोनो खसरा नम्बरों मे कोई भी अपीलान्ट के खाते मे दर्ज नही किया गया।

5. अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी से अपने कागजात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकलें प्राप्त की तो नामान्तरण संख्या 38 दिनांक 07.08.1988 मे खसरा नम्बर 790 की जगह खसरा नम्बर 786 स्वीकृत नामान्तरण 38 मे जानकारी हुई। जिसकी नकल प्राप्त कर श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील पेश की है। अपील विलम्ब से पेश करने की दशा मे अपील के सलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है। जो श्रीमान न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार हासिल है। अतः अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 38 वाके ग्राम अमाई स्वीकृत दिनांक 07.08.1988 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को निरस्त फरमाया जावे तथा सहवन से दर्ज आराजी खसरा नम्बर 786 वाके मौजा अमाई के स्थान पर आराजी खसरा नम्बर 790 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कराने के आदेश प्रदान करावें।

6. अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश करने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई, रिपोर्ट समायत पाई जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर कर नियमानुसार रेस्पोडेंट की तल्वी जरिये सम्मन नोटिस जारी कर कराई गई, बाद तामील सम्मन नोटिस प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

7. बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम अमाई के हाल आराजी खसरा नम्बर 784, 785, 790, 844, 845, 846, 851, 852, 853, 854 साबिक खसरा नम्बर 362 मिन, 366, 463 मिन से बने है। उक्त आराजी को अपीलान्ट के पिता एवं पति हरिराम ने तत्कालीन खातेदारों से जरिये विक्रयपत्र 04.07.1983 व 13.07.1983 के द्वारा भूमि खरीद की थी जिसका नामान्तरण संख्या 38 भरा गया था जो विक्रय पत्र अनुसार सही दर्ज हुआ था लेकिन नामान्तरण स्वीकार करते समय तहसीलदार कोटपूतली ने खाबिक खसरा नम्बर 362 मिन से बने खसरा नम्बर 784, 785, 790 के स्थान पर खसरा नम्बर 784, 785 तो सही लिखा गया लेकिन खसरा नम्बर 790 के स्थान पर 786 खसरा नम्बर सहवन से दर्ज कर दिया जबकि 786 खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से नही बना है। खसरा नम्बर 786 साबिक खसरा नम्बर 363 मिन से बना है। जो अपीलान्ट द्वारा क्रय नही किया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खसरा नम्बर 790 व 786 दोनो खसरा नम्बरान मे कोई भी खसरा नम्बर अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड नही है। जबकि नामान्तरण संख्या 38 मे दर्ज खाबिक खसरा नम्बर 362 मिन से बना खसरा 790 को तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 786 के स्थान पर अंकन कर स्वीकृत किया जाना चाहिए था जो तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट के पिता व पति के ह कमे हुए विक्रयपत्र दिनांक 04.07.1983 व 13.07.1983 के बिना अवलोकन किये उक्त नामान्तरण स्वीकार कर दिया जो न्याय संगत नही है। अतः उक्त नामान्तरण संख्या 38 को अपास्त किया जावे तथा सहवन से दर्ज खसरा नम्बर 786 के स्थान पर 790 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश प्रदान करें।

8. बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत बहस मे कथन किया कि विक्रय पत्रों अनुसार नामान्तरण संख्या 38 दिनांक 07.08.1988 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली वाकेग्राम अमाई का सही भरा गया किन्तु तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामान्तरण स्वीकृत करते समय साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से बने खसरा नम्बर 790 के स्थान पर साबिक नम्बर 363 मिन से बना खसरा नम्बर 786 का सहवन से अंकन हो गया जो काबिले दुरुस्ती है।

नि. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

9. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात तथा साक्ष्य व सबूतों का अध्ययन कर अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन किया गया तो पाया कि नामान्तरण संख्या 38 वाके मौजा अमाई का विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1983 व 13.07.1983 के अनुसार भरा जाकर तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 07.08.1988 को स्वीकार किया है। मुताबिक विक्रय पत्रों के द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 784, 785, 790, 844, 845, 846, 851, 852, 853, 854 किता 10 का नामान्तरण संख्या 38 भरा होना पाया गया। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त नामान्तरण को स्वीकार करते समय साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से बने खसरा नम्बर सहवन से 784, 785, 786 का अंकन हो गया जबकि 786 खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से नही बना है। साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से 784, 785, 790 बने है। जो खसरा नम्बर 790 के स्थान पर खसरा नम्बर 786 का सहवन से गलत अंकन हो गया। वकील अपीलान्ट द्वारा इसके अलावा यह भी कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 786 तथा 790 दोनों खसरा नम्बरों का कोई भी खसरा नम्बर अपीलान्ट के नाम हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रिकार्ड नही है। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 38 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली को अपास्त किये जाने बाबत निवेदन किया है साथ ही साबिक खसरा नम्बर362 मिन से बना आराजी खसरा नम्बर 790 को अपीलान्ट के खाते मे अमलदरामद करने बाबत प्रस्तुत बहस मे निवेदन किया है।

चूंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से बना खसरा नम्बर 790 तथा खसरा नम्बर 786 दोनो खसरा नम्बरों में कोई भी खसरा नम्बर अपीलान्ट के नाम हाल राजस्व रिकार्ड अंकन नही है। जबकि आराजी खसरा नम्बर 790 साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से बनना मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। इसलिए विक्रय पत्रों की बिना जांच एवं अवलोकन किये ही तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 38 वाकेग्राम अमाई को दिनांक 07.08.1988 को स्वीकार का दिया जो अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा साबिक खसरा नम्बर 362 मिन से बना खसरा नम्बर 790 को अपीलान्ट के हक मे दर्ज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामान्तरण संख्या 38 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 07.08.1988 को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त नामान्तरण मे सहवन से दर्ज आराजी खसरा नम्बर 786 वाके मौजा अमाई के स्थान पर आराजी खसरा नम्बर 790 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तद् अनुसार पालना हो।

11. यह निर्णय आज दिनांक 15.10.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)